न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 13/2021

1. बसीर खान पुत्र छज्जू
2. मनीष पुत्र बसीर खान जाति मेव निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामाँ

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सोमका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सोमका तहसील पहाडी
2. जाकिर पुत्र छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामाँ

रैस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 05/07/2021
ग्राम पंचायत सोमका तहसील पहाडी

1. श्री सतीश बुन्देला वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रहलाद सिंह वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 2

दिनांक :- 21/03/2022

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 1258/2.71 बांके ग्राम सोमका तहसील पहाडी में स्थित है। जिसका पूर्व में नैनू पुत्र गोरधन जाति मेव निवासी ग्राम ईखनखां तहसील पहाडी 1/2 हिस्से का खातेदार था जिसकी नैनू ने रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22/12/2018 को अपनी पत्नि हमसीरा उर्फ हनसीरा को कर दी और हमसीरा उर्फ हनसीरा ने अपनी उक्त सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 24/06/2021 को 0.32 हैक्टर भूमि कब्रिस्तान को व 0.32 हैक्टर भूमि ईदगाह को व शेष भूमि अपने भाई जाकिर पुत्र छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामाँ को की गई तथा उक्त वसीयत में लिखा भी है कि मैं निसन्तान होने के कारण चाहती हूँ कि मेरी सम्पत्ति का दुरूपयोग ना हो तथा मेरे पति व मेरी इच्छा पूर्ण होकर मैं शान्ति से परलोक जाऊ

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वसीयतकर्त्ता हमसीरा की मौत उसके पति के ही जीवनकाल में ही दिनांक 22/05/2021 को हुई तथा उसके करीब 9–10 दिन बाद हमसीरा के पति नैनू की मृत्यु दिनांक 03/06/2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई । वसीयतकर्त्ता हमसीरा का अपीलान्ट संख्या 1 भाई तथा अपीलान्ट संख्या 2 भतीजा है अपीलान्ट के द्वारा सार्वजनिक हित में उक्त अपील पेश की गई है। मृतक हमसीरा की वसीयत के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत सोमका ने जाकिर पुत्र छज्जू को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से वसीयत नामा दिनांक 24/06/2021 में वर्णित तथ्यों के खिलाफ जाकर कब्रिस्तान के नाम 0.16 एयर तथा ईदगाह के नाम 0.16 एयर व शेष भूमि को जाकिर पुत्र छज्जू के नाम उक्त दाखिल खारिज गलत दर्ज कर लिया गया। जबकि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दाखिल खारिज दर्ज करते समय कब्रिस्तान के नाम 0.32 (2बीघा), ईदगाह के नाम 0.32 (2 बीघा) तथा शेष भूमि जाकिर पुत्र छज्जू के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जिससे रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर कानून व तथ्यों के विपरीत जाकर दाखिल खारिज दर्ज किया है। जो काबिले निरस्तनीय है। अपीलान्ट को गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 01/12/2021 को दाखिल खारिज की नकल प्राप्त करने पर हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील जानकारी से अन्दर म्याद पेश है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त दाखिल खारिज विधि की सुस्थापित नियमों, कानूनो के प्राकृतिक सिद्धातों के विपरीत दर्ज किया है। जो काबिले निरस्तनीय है। उक्त दाखिल खारिज दर्ज करते वक्त सार्वजनिक हित में किसी को कोई भी सुनवाई समुचित अवसर व नोटिस भी नहीं दिये गये। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर सुयोग्य ग्राम पंचायत सोमका तहसील पहाडी का दाखिल खारिज संख्या 40 दिनांक 05/07/2021 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया । रैस्पोडेन्टस संख्या 2 मय वकील के न्यायालय में उपस्थित आया । दिनांक 07/03/2022 को आपत्ति अपील इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई कानूनी हक नहीं है ना ही अपील पेश करने की कोई इजाजत न्यायालय श्रीमान से ली गई है। अपील में कोई सार्वजनिक हित नजर नहीं आता है क्योकि अपीलान्ट पिता पुत्र है जिन्होने महज रैस्पोडेन्ट संख्या 2 को नाजायज तंग व परेशान करने की वजह से उक्त अपील पेश की है। जो काबिले खारिजी है। ग्राम पंचायत में दाखिल खारिज दर्ज करते समय सभी की सहमति ली गई थी और उस सहमति में स्वयं अपीलान्ट भी थे विवादित आराजी ग्राम सोमका में स्थित है जबकि अपीलान्ट ग्राम रोशियाका तहसील कामाँ के रहने वाले है जिनका उक्त आराजी व वसीयत से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है एवं अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

का भी सार्वजनिक हित प्रतीत नहीं होता है। मात्र रैस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत से अपील पेश की गई है जिसे पेश करने का कोई हक अपीलान्ट का नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

वकील फरीकेन की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों एवं वकील रैस्पोडेन्ट ने अपने जबाब/आपत्ति में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 05.07.2021 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत सोमका द्वारा यह नामान्तरण रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा के आधार पर खोला गया है। रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा में स्पष्ट रूप से 0.32 हैक्टर भूमि कब्रिस्तान को व 0.32 हैक्टर भूमि ईदगाह को व शेष भूमि अपने भाई जाकिर पुत्र छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामाँ को देने का वर्णन है। परन्तु ग्राम पंचायत सोमका द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय कब्रिस्तान को 0.16 हैक्टर भूमि एवं ईदगाह को 0.16 हैक्टर भूमि दी गई है। एवं जाकिर पुत्र छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामाँ को अधिक भूमि दी गई है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सोमका द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय भारी भूल की गई है। अतः नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 05.07.2021 को खारिज किया जाना उचित है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 05.07.2021 सरपंच ग्राम पंचायत सोमका को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पहाड़ी को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहड़ी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)